

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 84 / PRO-30(10050-2) / जॉन-4 / यू0हा0 / 2012-13 दिनांक 16/06/2014

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास (अफोडेबुल) मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के भित्तिकृत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

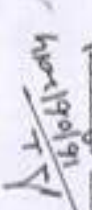
श्री वेद प्रकाश गोयल पुत्र स्व0 राजमल गोयल एवं श्रीमती सन्तोष गोयल पत्नी श्री वेद प्रकाश गोयल द्वारा आराजी संख्या-158, 159, 160 एवं 161 ग्राम-तिगनीता, परगना-अरैल, तहसील-करछना, जिला इलाहाबाद (क्षेत्रफल 5224.00 वर्गमीटर) पर जॉन संख्या (4) के अन्तर्गत समूह आवास (अफोडेबुल) बहुमंजिले भवन के निर्माण हेतु दाखिल मानचित्र के प्रस्तावित-भाग पर निर्माण की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 30.05.2014 के क्रम निर्माकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर (50) अर्द्ध वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. रैनवाटर हार्वैस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करवाकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. सौतर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना, संयोजन प्लान किचेन, बाथरूम में दर्शित करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
7. उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
8. प्रस्तुत समूह आवास मानचित्र 138 आवासीय इकाई हेतु है, अतिरिक्त इकाईयों का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
9. समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार स्वतः पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. यह सुनिश्चित किया जाय कि बहुमंजिले भवन का निर्माण भूकम्परोधी मानकों के अनुरूप ही किया जाय।
11. प्रस्तावित पार्क एरिया 756.00 वर्गमीटर पर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाय।

Continued

12. निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उत्सर्जित मलवा अपने परिसर में ही रखा जाना आवश्यक होगा।
13. पुलिस अधीक्षक-यातायात, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-आर/एसपीटी/सी-15 (6)/2013 दिनांक 20.05.2013 उप निर्देशक तकनीकी फॉर सर्विस इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-2013/इला10/100/नैनी/006 दि० 17.05.2013, मुख्य अभियन्ता-विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-1409/मु0अ0(वि०)इ0शे०/पी-2 (मानचित्र) दि० 29.3.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
14. मानचित्र की स्वीकृति की वैधानिकता मात्र पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
15. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति मू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। मू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
16. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
17. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
18. बहुमंजिले भवन निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो बहुमंजिले के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी उसे विलम्बतम 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र निर्मित किये जाने की अपेक्षा करे तो अपने खर्च से अपेक्षित समयावधि के अन्दर मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था पुनर्स्थापित करना अनिवार्य होगा।
19. बहुमंजिले भवन निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
20. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को बहुमंजिले भवन की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस व्यक्ति का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
21. यदि निर्माण में मास्टर प्लान/जोन्ल प्लान/ले-आउट का उल्लंघन होता पाया गया, तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।


(पुष्कर श्रीवास्तव)

OSD/प्रगरी अधिकारी (त०स०-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,

इलाहाबाद